

भाग - 2

(संबन्धित उपवन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव ली राज्य कम संख्या

7	परियोजना / स्कीम का स्थान	जनपद चमोली में पी० एम० जी० एस० वाई० फेज - 8 के अन्तर्गत है <u>ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट</u> की <u>कम</u>
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड
(ii)	जिला	चमोली
(iii)	वन प्रभाग	देदारनाथ वन्यजीव प्रभाग जोधपुर
(iv)	वनेत्तर भूमि प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	आरक्षित एवं सिविल भूमि 4.47 है०
(v)	हरियाली का घनत्व	10 से 40 प्रतिशत या 0.40
(vi)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि / श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय) सिचाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल-4 मीटर भी संलग्न किये जाय	बॉज - क्वेटेकस इनकाना, अंगार - Lyonia ovalifolia, भीमल - ग्रीविया - अपोजिटी कोलिया
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	भूक्षरणीय क्षेत्र नहीं है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी कोडोर आदि का भाग है (यदि यहाँ क्षेत्र का व्यापार और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाय)	लागू नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है। यदि हों तो तत्सम्बन्धित व्यापार दे	लागू नहीं
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हों तो तत्सम्बन्धित व्यापार संगक्ष प्राधिकरण से अनापति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दे	लागू नहीं
8	प्रयोज्य एजेन्सी द्वारा भाग -1 कालम -2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जॉचे गये विकल्पों के व्यापार के सारि मदवार सारतुत क्षेत्र क्या है	न्यूनतम है
9	क्या अधिनियम व उल्लघन में कोई कार्य किया गया है (हों / नहीं) यदि हों तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्यापार दे क्या उल्लघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं	लागू नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यापार	संलग्न है

(i)	प्रतिपूरक वनीकरण को लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन आरा-पारा के वन से इसकी पूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	संलग्न है
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण को लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र अवकमित वन क्षेत्र आरा-पारा के वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्न है
(iii)	श्रोषित की जाने वाली प्रजातियों प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कायान्वयन एजेंसी रांगय अनुराची लागत टाचा आदि	संलग्न है
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण को लिए कुल वित्तीय परिच्यय	
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण को लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपर्युक्ता के बारे में और प्रबन्धकीय पृष्ठीकोण से राक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उपायन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षित किया जाय)	संलग्न है
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7, 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	संलग्न है
12	विभाग / जिला प्रोफाइल	निम्न
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	75185.5 7519.55 की०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	497100 67160.६०
(iii)	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	268.457 की० फ़ैर 82
(iv)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	निम्न
(क)	बण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	444.474 की०
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	रिक्त
(v)	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	निम्न
(क)	वन भूमि पर	444.474 की०
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	रिक्त
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	रास्तुति की जाती है

तिथि - 13/08/2011
स्थान - देहरादून वन विभाग
वन प्रभाग जी.पी.ओ.

रक्षक वन क्षेत्र

(नाम)

D. F. O
उप वन संरक्षक
देहरादून वन विभाग प्रभाग
गोपेश्वर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
गोपेश्वर प्रभाग